गैरयोजना

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/छात्रावास(संधा.)–31–01/2010– 63

प्रेषक,

मोहन प्रकाश मधुकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
कैमूर(भभुआ)।

पटना, दिनांक 21.12.16

विषय: **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों के संधारणार्थ अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए कुल ₹35,50,000/–(पैंतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में प्रथम चार माह के लिए अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए ₹3,54,27,365/– एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए ₹38,98,560/– अर्थात कुल ₹3,93,25,925/–(तीन करोड़ तिरानवे लाख पचीस हजार नौ सौ पच्चीस रूपये) मात्र का आवंटन विभागीय आबंटनादेश संख्या–11 दिनांक–13/5/2016 एवं शेष आठ माह के लिए अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए ₹ 5,94,61,600/– एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए ₹69,14,140/– अर्थात कुल ₹6,63,75,740/–(छः करोड़ तिरसठ लाख पचहत्तर हजार सात सौ चालीस रूपये) मात्र का आवंटन विभागीय आबंटनादेश संख्या–25 दिनांक–21/07/2016 एवं विभागीय आबंटनादेश संख्या–52 दिनांक–16/11/2016 द्वारा दिया गया है। उसी क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) के पत्रांक–1019/क0 दिनांक–17.12.16 से माँग के आलोक में कुल ₹35,50,000/–(पैंतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।

2– **संलग्न विवरणी** के लिये कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना आय–व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण--उपमुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण--लघु शीर्ष--277–शिक्षा–उपशीर्ष--0002–छात्रावासों का संधारण,–विषय शीर्ष–2101–सामग्री एवं पूर्तियां, 1301–कार्यालय व्यय, 1304–विद्युत प्रभार, 2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ– मांग सं0–44–विपत्र कोड संख्या–N2225012770002 के अन्तर्गत विकलनीय है ।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गयी राशि की व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे तथा उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक--2561 दिनांक–17–4–98 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा ।

5– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार पटना को दी जा रही है ।

6– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

21/12/16

(मोहन प्रकाश मधुकर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 1/छात्रावास(संधा.)–31–01/2010– 63 पटना, दिनांक– 21.12.16

प्रतिलिपि : (1) विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(2) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(3) जिला कोषागार पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(4) प्रमंडलीय आयुक्त, ~~तिरहुत~~ पटना /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)/विकास आयुक्त, कैमूर(भभुआ)/ /उप निदेशक, कल्याण, पटना/अवर सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/ प्रशाखा–2 डी0 एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –1/छात्रावास(संधा.)–31–01/2010– 63 पटना, दिनांक– 21.12.16

प्रतिलिपि :–आई0 टी0 प्रबंधक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

21/12/

सरकार के संयुक्त सचिव।

विवरणी

विर्ष 2016–17 में गैर योजना अन्तर्गत अनु0 जाति के लिए छात्रावासों के संधारण अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटनः–

क्रमांक	जिला का नाम	सामग्री एवं पूर्तियां	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऐं	कुल आवंटित राशि (3 से 6 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	कैमूर(भभुआ)	25,00,000/–	50,000/–	5,00,000/–	5,00,000/–	35,50,000/–
	योग	**25,00,000/–**	**50,000/–**	**5,00,000/–**	**5,00,000/–**	**35,50,000/–**

(कुल राशि पैतीस लाख पचास हजार) मात्र

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव।